रेरा से आवास खरीदारों में जगा विश्वास

मुजफ्फरनगर। देश में रियल एस्टेट विनिमय अधिनियम (रेरा) के लागू होने

के बाद भवन खरीदारों के लिये न सिर्फ अब योग्य भवन तैयार किये जा रहे हैं बल्कि उसे खरीदने के लिये आने वाली जटिलताओं को भी आसान बना दिया है। रेरा कानून के आने के बाद रियल इस्टेट बाजार में पड़े सकारात्मक असर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रिलायंस होम फाइनेन्स के ईडी व सीईओ रवीन्द्र सुधालकर ने कहा कि रेरा कानून के आने से सम्पत्तियों में निवेश करने वालों में विश्वास बढ़ा है। हालांकि उन्होंने बताया कि रेरा कानून के आने से पहले सम्पत्तियों की भारी लागत, सूझबूझ से पारदर्शिता की कमी, अस्पष्टता, समय सीमा और खराब सेवाओं ने लोगों को सम्पत्ति के बाजार में निवेश करने से दूर दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि आने वाले अगले चार सालों में सौ मिलियन घरों की जरूरत होगी, जिसकी पूर्ति के लिये सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है, जिसके तहत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी वाले होम लोन की योजना अब एमआईजी के दायरे में शामिल कर दी गयी है।